कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in Tel./Fax :- 0135-2442052

पत्रांक :- 3013 / 12-1 , दिनांक, मुनिकीरेती, 15/06/2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत आमणी से गडाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.692 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक संख्या–1196/33 सी0 दिनांक 30–05–2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/72/2017/एफ0सी0/1989 दिनांक 26–02–2018 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या–क–972/3–5–2 (11) दिनांक 21–11–2017 से निर्धारित दरों पर वर्ष 2018–19 हेतु वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि का संशोधित डिमाण्ड नोट आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नवत् प्रेषित किया जा रहा है। कार्यालय के पत्रांक संख्या–2117/12–1(2) दिनांक 15–03–2018 से जारी डिमाण्ड नोट में उल्लेखित शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

वसूली वर्ष 2018–19 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि का विवरण –

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि –	1.629X2=3.258 है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0–	2,78,665.00 प्रति है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि–	3.258X2,78,665.00=9,07,890.57
	या 9,07,891.00

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:– 3013 / दिनांकित।
प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु [illegible] धनराशि 907891=00
— पूर्व में — 835356-00
अवशेष धनराशि रु 72535=00
दो ड्राफ्ट [illegible]
19/6/18

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

डायरी संख्या 156
फाइल नं० 3320
दिनांक 31-3-18

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in Tel./Fax :- 0135-2442052

पत्रांक- 2117 /12-1 (2) दिनांक, मुनिकीरेती, 15/03/2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0-कीर्तिनगर

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत आमणी से गढाकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.629 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/22256/2016

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/06/72/2017/एफ0सी0/1989 दिनांक 26-02-2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से भारत सरकार द्वारा दी गयी शर्तो के कम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

शर्त संख्या- 01. के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.258 है0 ग्राम आमणी सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वसूली वर्ष 2017-18 हेतु @ 2,53,332.00 प्रति है0 की दर से कुल मु0 08,25,356.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावक द्वारा जमा की जानी होगी। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-596/3-5-2 दिनांक 19-08-2015 के अनुसार निर्धारित किया गया है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम आमणी की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.258 है0 है को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत छः माह के अन्तर्गत वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।

बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.629 है0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति है0 की दर से मु0 13,76,505.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0पी0 की देयता निम्नानुसार है" :-

LAC
6237

1. ईको-क्लास श्रेणी- V
2. हरियाली का घनत्व- 0.50
3. एन0पी0वी की दर प्रति है0- मु0 8,45,000.00 (आठ लाख पैंतालीस हजार रूपये मात्र)
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 1.629 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि- 1.629 है0 X 8,45,000.00 = 13,76,505.00

बिन्दु संख्या-03 के अनुपलान में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का वचनबद्वता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के (CAMPA) खाता में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जेनरेट होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

Scanned by CamScanner

शर्त संख्या– 05. के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्वता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहॉं–जहॉं सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Cnetral Verge पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी।

बिन्दु संख्या–06 के अनुपालन में User Agency will review the data given about employment likely to be generated and upload data about employment details at para-E online part-I.

बिन्दु संख्या–07 के अनुपालन में User Agency will upload digital map area proposed for CA at para 13 (iii) online part-II

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

(राहुल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 2117 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(राहुल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

Scanned by CamScanner